

पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण -पत्र

कार्यालय तहसीलदार (मुरादाबाद), जनपद मुरादाबाद

प्रमाण पत्र संख्या 042143002194

नां-10,122 / 07/03/2014

दिनांक 11/03/2014

उत्तर-प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1

राजस्व निरीक्षक - की आख्या दिनांक 11/03/2014 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि सुभिता चौधरी पुत्र/पत्नी/पुत्री गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम/मौ० कुन्दनपुर लाईनपार तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश राज्य की जाट पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर-प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची 1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सुभिता चौधरी अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-2 (जैसा कि उत्तर-प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर-प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है) से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पचास लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957-में यथा विहित छूट सीमा से सम्पत्ति भी नहीं है। सुभिता चौधरी तथा उनका परिवार उत्तर-प्रदेश के ग्राम/मौ० कुन्दनपुर लाईनपार तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद में समान्यता रखता है।

तैयारकर्ता

तहसील मुरादाबाद



(मुरादाबाद)

जनपद मुरादाबाद

नोट - यह प्रमाण पत्र <http://bor.up.nic.in> पर इसका फोटो अपलोड कर, सत्यापित किया जा सकता है।